न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

हकीमधर बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 143 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
06/1/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी द्वारा किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम चैलासी पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 234 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि बोदूराम पुत्र गोरू उर्फ गोरधन दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि हकीमधर पुत्र गोरू उर्फ गोरधन है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि हकीमधर पुत्र गोरू उर्फ गोरधन अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि बोदूराम पुत्र गोरू उर्फ गोरधन के स्थान पर उक्त प्रविष्टि हकीमधर पुत्र गोरू उर्फ गोरधन दुरूस्त किया जावें।" अपने आवेदन के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त उक्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम चैलासी पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 234 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि बोदूराम पुत्र गोरू उर्फ गोरधन के स्थान पर उक्त प्रविष्टि हकीमधर उर्फ हकीमधर पुत्र गोरू उर्फ गोरधन दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)